पत्रांक—08 / विविध(आवेदन)—35—02 / 2022— 57 (8) / रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

ई—मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता, बिहार;
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।

पटना—15, दिनांक— 29/01/24

विषय — अंचल स्तर पर भूमि विवादों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक के संबंध में।

प्रसंग — गृह विभाग, बिहार का पत्रांक—9522 दिनांक—15.10.2018 तथा विभागीय पत्रांक—791(8) / रा0, दिनांक—12.09.2012, पत्रांक—24(8) / रा0 दिनांक—17.01.2017 एवं पत्रांक—495(8) / रा0 दिनांक—22.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लिया जाय, जिसके तहत अंचल स्तर पर भूमि विवादों के नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक आयोजित किये जाने का आदेश संसूचित है।

तथापि, कतिपय स्रोतों से ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हुई है कि उक्त शनिवारीय बैठक में अंचल अधिकारी के स्थान पर राजस्व कर्मचारी द्वारा भाग लिया जाता है। जबकि, गृह विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से यह आदेश संसूचित है कि बैठक में थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी भाग लेंगे।

अतः अनुरोध है कि अंचल स्तर पर भूमि विवादों के अनुश्रवण एवं निदान हेतु प्रत्येक शनिवार को आहूत अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक में अंचल अधिकारी ही भाग लेंगे। अंचल अधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत एक से अधिक थाना क्षेत्र होने की स्थिति में अथवा अंचल अधिकारी के अवकाश में रहने पर ही राजस्व अधिकारी उक्त संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं।

कृपया इसका शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

29/1/24

(जय सिंह)
सचिव

D:\sanjeev\sec-8\Santosh Jee\Letter\Sec\2023\Letter-18.12.23.docx